प्रेस नोट ***दिनाक 08.11.2025***

02 शातिर चोर गिरफ्तर कब्जे से चोरी के 4640 नगद रुपये बरामद –

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियो कें विरूद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 08.11.2025 को चौकी इंचार्ज रतनपुरा उ0नि0 शिवप्रकाश पाठक थाना हलधरपुर जनपद मऊ मय हमराहियान के देखभाल क्षेत्र व पतारसी सुरागरसी में मु0अ0सं0 363/2025 धारा 305(a),331(4),317(2) बी0एन0एस0 के मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्त 1. सिद्धार्थ सिंह उर्फ प्रीतम सिंह पुत्र फौजदार सिंह निवासी ग्राम करउत (फेन्टेसिया वाटर पार्क सामने) थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष व 2. शुभम सिंह उर्फ घूरा सिंह पुत्र विनय सिंह निवासी ग्राम रतनपुरा थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 19 वर्ष के कब्जे से 4640 रूपये, 500/-रू0 की 08 नोट, 200/रू0 की 02 नोट 100/-रू का एक नोट, 50/रू0 का एक नोट, 20/-रू0का 04 नोट व 10/रू0 का एक नोट बरामद हुए। अभियुक्तगण 1. सिद्धार्थ सिंह उर्फ प्रीतम सिंह उपरोक्त व 2. शुभम सिंह उर्फ घूरा सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय मऊ रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. सिद्धार्थ सिंह उर्फ प्रीतम सिंह पुत्र फौजदार सिंह नि0 ग्राम करउत (फेन्टेसिया वाटर पार्क सामने) थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष।
2. शुभम सिंह उर्फ घूरा सिंह पुत्र विनय सिंह नि0 ग्राम रतनपुरा थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 19 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाले टीम –

1. उ0नि0 शिवप्रकाश पाठक
2. हे0का0 ओमप्रकाश
3. हे0का0 रमेश यादव
4. हे0का0 बृजेश कुमार
5. हे0का0 अजय पाण्डेय

बरामदगी -

4640 रूपये, 500/-रू0 की 08 नोट, 200/रू0 की 02 नोट 100/-रू का एक नोट, 50/रू0 का एक नोट, 20/-रू0का 04 नोट व 10/रू0 का एक नोट

आपराधिक इतिहास –

1. शुभम सिंह उर्फ घूरा सिंह पुत्र विनय सिंह नि0 ग्राम रतनपुरा थाना हलधरपुर मऊ
   मु0अ0सं0 034/2024 धारा 379,411 भा0द0वि0 थाना हलधरपुर मऊ।
   मु0अ0सं0 189/2024 धारा 303(2),317(2) बी0एन0एस0 थाना हलधरपुर मऊ।
   मु0अ0सं0 363/2025 धारा 305(a),331(4),317(2) बी0एन0एस0 थाना हलधरपुर मऊ
2. सिद्धार्थ सिंह उर्फ प्रीतम सिंह पुत्र फौजदार सिंह नि0 ग्राम करउत (फेन्टेसिया वाटर पार्क सामने) थाना हलधरपुर जनपद मऊ
   मु0अ0सं0 0962/2015 धारा 279, 337, 338 भा0द0वि0 थाना कोतवाली मऊ
   मु0अ0सं0 363/2025 धारा 305(a),331(4),317(2) बी0एन0एस0 थाना हलधरपुर मऊ

01 हिस्टीशीटर गिरफ्तार कब्जे से 01 नाजायज पिस्टल व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियो कें विरूद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंह के दौरान गिरफ्तार शुदा एक नफर अभियुक्त अभय यादव उर्फ बड़कई पुत्र दुर्ग विजय निवासी सुल्तानपुर कोलौरा थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0सं0 411/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ। विवरण इस प्रकार है मैं उ0नि0 मिथलेश कुमार हमराह उ0नि0 आदर्श दुबे हे0का0 मनोज शर्मा , हे0का0 राहुल यादव ,का0 योगेन्द्र चौधरी व का0 नवीन रंजन सिंह के वलीदपुर मोड़ के आगे जीयन पुर रोड पर संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहन की चेकिंग में मौजूद रहकर तथा आने जाने वाले संदिंग्ध वाहनों व व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही थी कि एक व्यक्ति काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल से मुहम्मदाबाद बंधे की तरफ से बिना हेलमेट के आता हुआ दिखाई दिया उक्त मोटरसाइकिल को नजदीक आने पर रूकने का इशारा किया गया तो रुक गया व रूकने पर सकपकाने लगा तो शक होने पर नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम अभय यादव उर्फ बड़कई पुत्र दुर्ग विजय निवासी सुल्तानपुर कोलौरा थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ उम्र करीब 32 वर्ष बताया जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुए जींस के पैंट के बाएं फेंटे से खुसा हुआ एक अदद पिस्टल .32 बोर नाजायज बरामद

हुआ बरामद पिस्टल को सावधानी पूर्वक खोलकर देखा गया तो चेम्बर खाली है। तत्पश्चात जामा तलाशी से व्यक्ति के जींस के पैंट के बायें जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस जिसके पेंदे पर KF 7.65 अंकित है। पिस्टल का भौतिक परीक्षण किया गया तो पिस्टल चालू हालत में पाया गया, रोके गये व्यक्ति के जींस के दाहिने जेब से एक अदद मोबाइल वीवो कम्पनी कलर नीला बरामद हुआ। रोके गये व्यक्ति से उक्त पिस्टल व कारतूस रखने का अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा तथा अपनी गलती की माफी मांगने लगा।उसके पास से बरामद मोटरसाइकिल का निरीक्षण किया गया तो आगे व पीछे नम्बर प्लेट पर UP 54 BB 0534 काले रंग की पल्सर है जिसका मौके पर कागजात मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा मो0 सा0 उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 207 MV ACT में सीज किया गया। रोके गये व्यक्ति का यह कार्य धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध पाते हुए जुर्म धारा कारण गिरफ्तारी व उसके विधिक अधिकारों को बताकर समय करीब 11.35 बजे बजाफ्ता बकायदा हिरासत पुलिस में लिया गया अभय उपरोक्त से मजीद पूछताछ करते हुए तमंचा रखने का कारण पूछा गया तो बताया कि मैं अपने शौक के लिए रखता हूँ। गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानाधिकार आयोग के आदेशो व निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिजन को जरिये दूरभाष दी गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अभय यादव उर्फ बड़कई पुत्र दुर्ग विजय निवासी सुल्तानपुर कोलौरा थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ उम्र करीब 32 वर्ष

बरामदगी

1. एक अदद देशी पिस्टल .32 बोर
2. एक अदद जिन्दा कारतुस .32 बोर
3. एक अदद मोबाइल वीवो कम्पनी
4. सीज शुदा एक अदद मो0 सा0 अन्तर्गत धारा 207 MV ACT पल्सर UP 54 BB 0534 ब्लैक कलर

अपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	015/2021	392, 411 420B IPC	जहानागंज	आजमगढ़
2.	154/2021	392, 411, 120B IPC	जहानागंज	आजमगढ़
3.	289/2022	3(1) गैंगेस्टर एक्ट	जहानागंज	आजमगढ़
4.	213/2022	120B, 392, 411 IPC	मेहनगर	आजमगढ़
5.	220/2022	307 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट	मेहनगर	आजमगढ़
6.	386/2022	3(1) गैंगेस्टर एक्ट	मेहनगर	आजमगढ़
7.	046/2020	392, 411, 419, 420 IPC	सिधारी	आजमगढ़
8.	239/2021	147, 148, 149, 307, 323, 504 IPC	सिधारी	आजमगढ़

9. 205/2021 120B, 392, 411 IPC रानीपुर मऊ
10. 212/2021 379, 411 IPC रानीपुर मऊ
11. 33/2024 3(1) गैंगेस्टर एक्ट रानीपुर मऊ
12. 101/2020 392, 411 IPC मु0बाद गोहना मऊ
13. 130/2020 307, 34 IPC मु0बाद गोहना मऊ
14. 023/2021 307 IPC मु0बाद गोहना मऊ
15. 24/2021 3/7/25 आर्म्स एक्ट मु0बाद गोहना मऊ
16. 151/2024 3(1) गैंगेस्टर एक्ट मु0बाद गोहना मऊ
17. 729/2020 3(1) गैंगेस्टर एक्ट मु0बाद गोहना मऊ
18. 124/2020 323, 332, 353, 427, 504, 506 IPC मु0बाद गोहना मऊ
19. 807/2020 307, 120B IPC मु0बाद गोहना मऊ
20. 339/2021 307, 323, 34, 427, 452, 504, 506 IPC मु0बाद गोहना मऊ
21. 396/2021 506 IPC मु0बाद गोहना मऊ
22. 649/2021 394, 411 IPC मु0बाद गोहना मऊ
23. 270/2021 395, 412, 34 IPC जहानागंज मऊ
24. 283/2021 395, 412, 34 IPC जहानागंज मऊ
25. 285/2021 395, 412, 34 IPC जहानागंज मऊ
26. 163/2021 120-B, 392, 411 जहानागंज मऊ
27. 081/2022 411, 414 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट जहानागंज मऊ
28. 628/2021 394, 412 IPC घोसी मऊ
29. 068/2020 323, 325, 504 IPC मेहनगर आजमगढ़
30. 118/2021 392, 411 IPC तरवां आजमगढ़
31. 411/2025 3/25 आर्म्स एक्ट मु0बाद गोहना मऊ

गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मी-

1. उ0नि0 मिथलेश कुमार
2. उ0नि0 आदर्श दुबे
3. हे0का0 मनोज शर्मा
4. हे0का0 राहुल यादव
5. का0 योगेन्द्र चौधरी
6. का0 नवीन रंजन सिंह

जनशिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 09.11.2025 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा थाना कोतवाली नगर में उपस्थित रहकर जनशिकायतो को सुना गया व जनपद के समस्त थानों पर समाधान/थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान द्वारा समस्त थानों पर जनशिकायतों को सुना गया तथा इसके समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सर्वसम्बन्धित को निर्देशित किया गया। जनपद के समस्त थानों पर 132 प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से कुल 19 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण कराया गया तथा राजस्व विभाग से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व टीम को आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराकर निस्तारण किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

*अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश; चार शातिर वाहन चोर गिरफ्तार कब्जे से 06 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें, 02 अदद चोरी के ई रिक्शा, 12 अदद चोरी की बैटरी, चार्जर व बिक्री का 4500 रूपये नगद तथा एक नाजायज तमंचा व कारतूस बरामद-*

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद में चोरी/वाहन चोरी के लगातार हो रही घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लाये जाने के लिये, अपराध में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी व चोरी गये माल की बरामदगी तथा अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं शीघ्र अनावरण हेतु निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर मऊ के नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 08.11.2025 को मुखबिर की सूचना पर खीरीबाग रेलवे यार्ड के पास झाड़ियों में घेराबंदी करते हुए पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास कर रहे अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह के तीन शातिर चोरों को और चोरी का माल खरीदने वाले एक कबाड़ी को भी मौके पर ही गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। जिनके कब्जे से 06 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें , 02 अदद चोरी के ई रिक्शा , 12 अदद चोरी की बैटरी , दो अदद चार्जर व बैटरी बिक्री से प्राप्त 4500 रूपये नगद तथा एक नाजायज तमंचा 315 बोर व 1 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। जिनके विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

- *गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:*

1. देवदत्त गिरी पुत्र कन्हैया गिरी, उम्र 45 वर्ष, निवासी मुंगेशर, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ (वाहन चोर/ मुख्य अभियुक्त)

2. कन्हैया राम पुत्र खरभान राम, उम्र 38 वर्ष, निवासी मलिकनाथपुर, थाना मरदह, जनपद गाजीपुर (वाहन चोर)

3. धर्मेन्द्र राम पुत्र पसराम, उम्र 42 वर्ष, निवासी लीलापुर भरसड़, थाना बिरनो, जनपद गाजीपुर (वाहन चोर)

4. गांधी चौहान पुत्र देवनाथ चौहान, उम्र 27 वर्ष, निवासी महुआरी, थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर (चोरी का माल खरीदने वाला कबाड़ी)

- *अपराध के तरीके का विवरण:*

पूछताछ में अभियुक्त देवदत्त गिरी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2016 में जब वह जेल गया था उस समय तक उसने 47 मोटरसाइकिलें और 100 की संख्या में साइकिलें चुराई थीं , जमानत पर छूट के आने के बाद पुनः अपराध में लिप्त हो गया था , आटो व टोटो चलाने का काम करता था , आटो चलाते समय जो भी गाड़ी सुनसान में खड़ी दिखाई देती थी , उसको अपने साथियों के साथ मिलकर चुरा लेता था।

- *आपराधिक इतिहास का विवरण:*

1. देवदत्त गिरी पुत्र कन्हैया गिरी, उम्र 45 वर्ष, निवासी मुंगेशर, थाना सरायलखंसी, के विरूद्ध जनपद मऊ के विभिन्न थानों पर कुल 09 अभियोग पंजीकृत है।

2. कन्हैया राम पुत्र खरभान राम, उम्र 38 वर्ष, निवासी मलिकनाथपुर, थाना मरदह, जनपद गाजीपुर के विरूद्ध जनपद मऊ में विभिन्न थानों पर कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

3. धर्मेन्द्र राम पुत्र पसराम, उम्र 42 वर्ष, निवासी लीलापुर भरसड़, थाना बिरनो, जनपद गाजीपुर के विरूद्ध जनपद मऊ में विभिन्न थानों पर कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

4. गांधी चौहान पुत्र देवनाथ चौहान, उम्र 27 वर्ष, निवासी महुआरी, थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर के विरूद्ध जनपद मऊ में विभिन्न थानों पर कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

• *गिरफ्तारी का विवरण:*

दिनांक – 08.11.2025

समय – 12.20 बजे

स्थान – खीरीबाग रेलवे यार्ड के पास झाड़ियों, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ

• *बरामदगी का विवरण:*

कुल 08 चोरी के वाहन:

02 अदद ई-रिक्शा (रजिस्टर्ड नं. UP 54 AT 9401, UP 54 AT 9945)

06 अदद विभिन्न कंपनी की चोरी की मोटरसाइकिलें

अन्य चोरी का सामान:

12 अदद चोरी की ई-रिक्शा बैटरियाँ

02 अदद ई-रिक्शा बैटरी चार्जर

अवैध हथियार:

01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर

01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर

नकदी:

₹4,500/- नगद (चोरी की बैटरियों की बिक्री से प्राप्त राशि)।

- *गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम का विवरण:*

प्रभारी निरीक्षक – अनिल कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

उप निरीक्षक – सुनील कुमार सरोज चौकी प्रभारी खीरीबाग थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

उप निरीक्षक – संजय तिवारी चौकी प्रभारी संस्कृत पाठशाला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

उप निरीक्षक – जय प्रकाश थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

उप निरीक्षक – अमित सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

का0 राहुल मौर्या , का0 जमाल अहमद , का0 शिवभूषण तिवारी, का0 अमरेश सिंह थाना कोतवाली जनपद मऊ

आज दिनांक 08.11.2025 को मुखबिर की सूचना पर खीरीबाग रेलवे यार्ड के पास झाड़ियों में घेराबंदी करते हुए पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास कर रहे अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह के तीन शातिर चोरों को और चोरी का माल खरीदने वाले एक कबाड़ी को भी मौके पर ही गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। जिनके कब्जे से 06 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें , 02 अदद चोरी के ई रिक्शा , 12 अदद चोरी की बैटरी , दो अदद चार्जर व बैटरी बिक्री से प्राप्त 4500 रूपये नगद तथा एक नाजायज तमंचा 315 बोर व 1 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। जिनके विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बरामद मोटरसाइकिलों में से कुल 03 मोटरसाइकलें में से 01 थाना कोतवाली के फाईन डाईन रेस्टोरेन्ट के पास से चोरी हुई है जिसके सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत है , इसके अलावा दो अन्य मोटरसाइकिलें मोहम्मदाबाद मऊ व गोरखपुर से चोरी गये हुए हैं जिन्हें ट्रेस किया जा चुका है। शेष मोटरसाइकिलें कहां से चोरी हुई हैं , जानकारी की जा रही है। बरामद दोनों ई रिक्शा थाना कोतवाली क्षेत्र से चोरी गये हैं जिसके सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत है।वाहन चोरों के इस नाजायज गिरोह का मुखिया देवदत्त गिरी पुत्र कन्हैया गिरी, उम्र 45 वर्ष, निवासी मुंगेशर, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ जिस पर पहले से ही करीब आधा दर्जन से अधिक मुकदमें पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:

- देवदत्त गिरी पुत्र कन्हैया गिरी, उम्र 45 वर्ष, निवासी मुंगेशर, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ

(वाहन चोर/ मुख्य अभियुक्त)

- कन्हैया राम पुत्र खरभान राम, उम्र 38 वर्ष, निवासी मलिकनाथपुर, थाना मरदह, जनपद गाजीपुर (वाहन चोर)
- धर्मेन्द्र राम पुत्र पसराम, उम्र 42 वर्ष, निवासी लीलापुर भरसड़, थाना बिरनो, जनपद गाजीपुर (वाहन चोर)
- गांधी चौहान पुत्र देवनाथ चौहान, उम्र 27 वर्ष, निवासी महुआरी, थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर (चोरी का माल खरीदने वाला कबाड़ी)